

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 20/2024

प्रार्थी

सरकार जरिए उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पौ.सं.), सहायक निदेशक कार्यालय कृषि(विस्तार), सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

श्री गणपतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हमीरपुरा पोस्ट दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरौही प्रो. मैसर्स आशापुरा कृषि केन्द्र दांतराई, तहसील रेवदर जिला सिरौही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सिरौही।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.07.2022 को उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पौ.सं.), सहायक निदेशक कार्यालय कृषि(विस्तार), सिरौही द्वारा अप्रार्थी की दुकान जो मैसर्स आशापुरा कृषि केन्द्र दांतराई, तहसील रेवदर जिला सिरौही के नाम से है, का निरीक्षण करने पर SSP Fortified with Zink & Boron (Granular) उर्वरक के 226 कट्टे अमानक पाए जाने पर प्रार्थी के द्वारा कब्जे सरकार लिये जाकर सीज किए गए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समग्रपहरण (confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।



प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई एवं जब्त किए उर्वरक को रिलीज किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 30.07.2022 को प्रार्थी द्वारा उर्वरक विक्रेता मैसर्स आशापुरा कृषि केन्द्र दांतराई, तहसील रेवदर जिला सिरौही का निरीक्षण कर मौका पर्चा भरकर सेम्पल के तीन नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक अमानक पाए जाने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं [REDACTED] के विक्रय एवं स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई एवं दिनांक 17.09.2022 को [REDACTED] के स्टॉक रजिस्टर में 226 कट्टे पाए जाने से मौका पर्चा उर्वरक की जब्ती की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.09.2022 को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु निवेदन

जिला कलक्टर, सिरौही


करने पर पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) खण्ड जालोर को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। अतः उक्त उर्वरक के रैफरी नमूने में मानक पाए जाने के आधार पर इसे जब्ती से मुक्त किया जाना है। अतः उर्वरक को जब्ती से मुक्त किए जाने की स्वीकृति/अभिशांषा प्रदान कराने का श्रम करावें।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को कृषि विभाग द्वारा गलत रूप से कब्जे सरकार लिया गया है, जिसका सैम्पल भी मानक आया है एवं उक्त उर्वरक को कब्जे सरकार लिए जाने से उर्वरक भी पडा हुआ खराब हो रहा है एवं उक्त उर्वरक के खराब होने से मुझे भारी नुकसान कारित होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को रिलीज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2022 को उर्वरक विक्रेता मैसर्स आशापुरा कृषि केन्द्र दांतराई, तहसील रेवदर जिला सिरोही का निरीक्षण कर मौका पर्चा भरकर सैम्पल के तीन नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण हेतु उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक अमानक पाए जाने पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रार्थी द्वारा उक्त उर्वरक के विक्रय एवं स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई एवं दिनांक 17.09.2022 को अप्रार्थी के स्टॉक रजिस्टर में SSP Fortified with Zink & Boron (Granular) उर्वरक के 226 कट्टे पाए जाने से मौका पर्चा उर्वरक की जब्ती की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.09.2022 को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु निवेदन करने पर प्रार्थी द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) खण्ड जालोर को अमानक उर्वरक के पुनः विश्लेषण हेतु भेजा गया, जिसमें उक्त उर्वरक नमूना मानक पाया गया। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए उक्त SSP Fortified with Zink & Boron (Granular) उर्वरक के रैफरी नमूने के विश्लेषण में मानक पाए जाने से प्रार्थी द्वारा भी उक्त उर्वरक को अप्रार्थी को लौटाए जाने का कथन किया गया है एवं उक्त उर्वरक को अप्रार्थी को लौटाए जाने पर प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए SSP Fortified with Zink & Boron (Granular) उर्वरक के 226 कट्टों को जब्ती से मुक्त (Release) किए जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(अल्पा चौधरी)
जिला कलेक्टर, सिरोही